



राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान

(आयुष मंत्रालय, भारत सरकार)

माधव विलास पैलेस, जोरावर सिंह गेट, आमेर रोड, जयपुर-302002

NATIONAL INSTITUTE OF AYURVEDA

(Ministry of AYUSH, Govt. of India)

Madhav Vilas Palace, Jorawar Singh Gate, Amer Road, Jaipur-302002

Tel. 2635744 (EPABX) Fax : 2635709

अल्पकालीन निविदा-विज्ञप्ति

संस्थान से सम्बन्धित चिकित्सालयों के लिये मरीजों हेतु प्रतिदिन फल-सब्जी सप्लाई हेतु दिनांक 20-12-2018 को सायं 5.00 बजे तक मोहर बन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म निर्धारित शुल्क नकद/डिमाण्ड ड्राफ्ट द्वारा जमा कराकर संस्थान कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं। प्राप्त निविदाओं को क्रय समिति एवं फार्मों के प्रतिनिधियों के समक्ष दिनांक 21-12-2018 को मध्याह्न 12.00 बजे खोली जावेगी। निविदा फार्म एवं स्पेशिफिकेशन संस्थान की वेबसाइट www.nia.nic.in से डाउनलोड कर टेण्डर फार्म की कीमत रूपये 500/- के साथ एवं धरोहर राशि के (अलग-अलग) डीडी निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम प्रस्तुत करना आवश्यक है अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा।

S.No.	Name of Item	Approx. Amount	EMD (In Rs.)	Tender cost in cash/ Download
1-	Supply of Fruits & Vegetables	10,00,000/-	20,000/-	500/-

प्रो० संजीव शर्मा
निदेशक

दिनांक : 10-12-2018

Tender Cost

By Cash/download Rs. 500/-

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

फर्म का नाम

.....

.....

निविदा प्रपत्र

1. विषय : निविदा जिस कार्य/वस्तु के लिये दिया जा रहा है
उसका नाम : **Contract of Fruits and Vegetables Supply**
2. निविदादाता का पूरा नाम :
3. प्रेषित अधिकारी/कार्यालय का नाम : निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर
4. निविदा शुल्क राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांकसंलग्न किया गया है ।
5. आयकर व बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है/नहीं है ।
6. धरोहर राशि रूपये रसीद नं./डी.डी. नं.दिनांक
निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बनाकर संलग्न कर दिया गया है ।
7. मैं/हम निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न शर्तों को स्वीकार करते हैं और इससे बाध्य रहेंगे ।

स्थान:

दिनांक :

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

निविदा शर्तें

1. संस्थान चिकित्सालय में भर्ती मरीजों एवं रसायनशाला को संलग्न सूची के अनुसार फल एवं सब्जी सप्लाई करने हेतु मोहरबन्द लिफाफे में निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं निविदा की अनुमानित लागत 10,00,000/- रूपये है । धरोहर राशि 20,000/- रूपये जमा करवाना अनिवार्य है। धरोहर राशि निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम बने बैंक ड्राफ्ट या नकद में ही ली जावेगी। इस राशि के चैक या F.D.R. मान्य नहीं होंगे। बिना धरोहर राशि/अपर्याप्त धरोहर राशि के अभाव में निविदा पर प्रारम्भिक रूप से ही कोई विचार नहीं किया जावेगा।
2. निविदा हेतु निर्धारित प्रपत्र रूपये 500/- नकद जमा कराने पर निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर की लेखा शाखा (कैश) से 20.12.2018 तक किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से 3.00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है । डाउनलोड टेण्डर फार्म की राशि रूपये 500/- का डिमाण्ड ड्राफ्ट धरोहर राशि के साथ (अलग-अलग) डिमाण्ड ड्राफ्ट निदेशक, राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, जयपुर के नाम प्रस्तुत करना होगा अन्यथा टेण्डर फार्म स्वीकार नहीं किया जावेगा ।
उक्त निविदा दिनांक 20.12.2018 को सायंकाल 5.00 बजे तक संस्थान कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। इसके बाद प्राप्त होने वाली निविदा पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 21.12.2018 को मध्याह्न 12.00 बजे क्रय समिति द्वारा उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी ।
3. संस्थान की वेबसाईट पर डाले गये फार्म एवं संबंधित उपकरण के स्पेशिफिकेशन को डाउनलोड कर दरें अंकित करें। दरें संस्थान द्वारा संलग्न निविदा प्रपत्र में ही मान्य होगी।
4. निविदा बालपेन से भरनी होगी तथा उसके प्रत्येक पृष्ठ पर निविदादाता को हस्ताक्षर करने होंगे। कांट-छॉट या ऊपर लेखन को सही रूप से अंको एवं शब्दों दोनों में लिखकर निविदादाता द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। डेसीमल में प्राप्त दरें मान्य नहीं होगी ।
5. निविदा खुलने के बाद निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें एवं शर्तों में कोई परिवर्तन किया जाता है, तो संस्थान को उनकी अमानत राशि जब्त करने का अधिकार होगा । निविदादाता द्वारा निविदा की किसी भी शर्त का उल्लंघन करने की दशा में संस्थान को हुई हानि की पूर्ति करने हेतु संस्थान को अधिकार होगा कि वह निविदादाता की धरोहर राशि व अमानत राशि को जब्त कर लें और अगर उससे भी हानि की पूर्ति न हो तो निविदादाता की चल और अचल सम्पत्ति से शेष घाटे की पूर्ति करें ।
6. कार्य/सामान की दरें शब्दों में तथा अंको में स्पष्ट रूप से अंकित होनी चाहिए। उसमें किसी प्रकार की कोई कांट-छॉट स्वीकार्य नहीं होगी । शब्दों तथा अंको में दरो में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरों को मान्यता दी जावेगी।

7. सामान की दरें स्पष्ट रूप से माप, तौल, संख्या, मार्का एवं मैक के आधार पर मय समस्त कर व ड्यूटी स्टाम्प के एफ.ओ.आर. संस्थान को देनी होगी । टेक्स एवं ड्यूटी के अलग से मांगने की दशा में टेक्स व ड्यूटी की दरें भी स्पष्ट अंकित की जानी चाहिए, ताकि वास्तविक लागत का पता चल सकें ।
8. निविदादाता को अपनी निविदा के साथ पेन कार्ड (PAN CARD) की छाया प्रति, आयकर एवं बिक्रीकर/GST चुकता प्रमाण पत्र साथ लगाने होंगे । जिसके अभाव में निविदा अमान्य की जा सकती है।
9. कार्य/सामान की दरें स्पष्ट रूप से शब्दों एवं अंको दोनों में अंकित होनी चाहिए। शब्दों तथा अंको में दरो में अन्तर होने पर शब्दों में अंकित दरों को मान्यता दी जावेगी । सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही माना जावेगा ।
10. फल-सब्जी निविदा की दरें संस्थान द्वारा दिये गये माहवार विवरण के अनुसार प्रस्तुत करें अन्यथा दरें मान्य नहीं होगी ।
11. अनुबन्ध की अवधि अनुबन्ध की दिनांक से 1 वर्ष के लिये मान्य होगी । यह अवधि अनुबन्ध के पूर्ण होने के पश्चात् भी आवश्यक होने पर एवं संस्थान द्वारा पूर्ण रूप से संतुष्ट होने पर अधिकतम 1 वर्ष के लिये (आपसी सहमति द्वारा) पुरानी दरों पर बढ़ाई जा सकती है। जिसके लिये 500/- रूपये का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध पत्र हस्ताक्षरित कर प्रस्तुत करना होगा ।
12. निविदादाता को समय-समय पर मांग के अनुसार फल एवं सब्जी निर्देशित निर्धारित स्थान पर अपने स्वयं के खर्च पर पहुंचानी होगी । इस हेतु किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा ।
13. कार्य संतोषप्रद नहीं होने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर बिल की 25 प्रतिशत राशि काटने का अधिकार संस्थान निदेशक को होगा ।
14. प्रत्येक माह फल एवं सब्जी सप्लाई के बिल आगामी माह की 5 तारीख तक भुगतान हेतु प्रस्तुत करना होगा ।
15. फर्म को 500/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पैपर पर एग्रीमेन्ट प्रस्तुत करना होगा तथा टेण्डर की लागत राशि की 5 प्रतिशत सिक्क्यूरिटी राशि संस्थान कोष में जमा करानी होगी।
16. फर्म द्वारा सन्तोषप्रद कार्य एवं सप्लाई नहीं करने पर टेण्डर (निविदा) निरस्त किया जा सकता है।
17. सम्बन्धित फर्म को शपथ-पत्र देना होगा कि फर्म को किसी भी केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार एवं इसकी स्वायत्त संस्था द्वारा अयोग्य (Black Listed) घोषित नहीं किया गया है।
18. फर्म के प्रस्तुत बिल में से नियमानुसार टी.डी.एस. राशि काटी जायेगी, जिसके लिए फर्म को निविदा फार्म के साथ पेन कार्ड की फोटो कॉपी देनी होगी ।
19. निविदादाता को नियमानुसार GST/TAX/अन्य सरकारी कर अतिरिक्त रूप से देय होगा। अतः दरों के साथ-साथ अतिरिक्त रूप से GST/TAX/अन्य सरकारी कर की दरें भी अंकित करना आवश्यक होगा। समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित टैक्स दरें लागू होने पर संस्थान द्वारा देय होगा।

20. सभी विवादों के निपटारे हेतु न्याय क्षेत्र जयपुर ही माना जावेगा ।
21. निदेशक राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान को किसी भी समय किसी भी निविदा को बिना कारण बताए संस्थान हित में रिजेक्ट करने का अधिकार होगा ।
22. निदेशक महोदय का निर्णय अंतिम रूप से सभी को मान्य होगा ।

उपनिदेशक (प्रशासन)

राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान
माधव विलास पैलेस, आमेर रोड, जयपुर-302002

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के लिये फल-सब्जी सप्लाई का माहवार विवरण निम्न प्रकार से है

क्र.सं.	नाम फल एवं सब्जी	नवम्बर से फरवरी दरें	मार्च से जून दरें	जुलाई से अक्टूबर दरें
फल				
1.	मोसमी			
2.	सेव			
3.	चीकू			
4.	अनारदाना(बेदाना)			
5.	अरण्ड ककड़ी (पपीता)			
सब्जियां				
1.	मेथी (हरी पत्तेदार)			
2.	पालक			
3.	गाजर			
4.	हरा धनिया			
5.	चौलाई			
6.	पत्ता गोभी			
7.	काशीफल (कद्दू)			
8.	तर ककड़ी (हरी ककड़ी)			
9.	नीम्बू			
10.	घीया			
11.	टिण्डा			
12.	तुरई			
13.	करेला			
14.	बथुआ			
15.	आँवला			
16.	ग्वार पाठा			
17.	अदरक			
18.	परवल			
19.	मूली			
20.	टमाटर			

निविदादाता के हस्ताक्षर
(सूचक मय रबड़ स्टाम्प)